

प्रेषक,

मुख्य राजस्व आयुक्त,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
देहरादून, पौड़ी गढ़वाल, बागेश्वर,
टिहरी एवं चमोली।

दिनांक : 13 सितम्बर, 2011


विषय: कलेक्ट्रेट के अन्तर्गत सृजित 07 ज्येष्ठ सहायक के अस्थाई पदों को
स्थाई किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-850/XVIII(1)/2011-03(1)/2009
दनांक 18.08.2011 जो इस कार्यालय को सम्बोधित एवं अन्य के साथ आपको पृष्ठांकित है, का
सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो कलेक्ट्रेट के अन्तर्गत सृजित 07 ज्येष्ठ सहायक के
अस्थाई पदों को स्थाई किये जाने के सम्बन्ध में है। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि
शासनादेश संख्या-199(2)/18(1)/2005 दिनांक 31.03.2005 के द्वारा सृजित ज्येष्ठ सहायक के
पदों को संलग्न विवरणानुसार स्थाई करने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

संलग्न :- उक्त।

भवदीय,




(एन0एस0नेगी)
अपर मुख्य राजस्व आयुक्त,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

o/c

संख्या एवं तददिनांक।

प्रतिलिपि - आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमाँऊ मण्डल, नैनीताल को सूचनार्थ एवं
आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



(एन0एस0नेगी)
अपर मुख्य राजस्व आयुक्त,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

o/c

111 3/40
27/08/11

संख्या- ४५० / XVIII(1) / 2011-03(1) / 2009


प्रेषक,

कुँवर राजकुमार,
सचिव,
उत्तराखण्ड, शासन।

सेवा में,

मुख्य राजस्व आयुक्त,
उत्तराखण्ड देहरादून।

अनु आधि० (अ) ३००


अनु आधि० आ०
२१/०८/११
३
२५.८.११

राजस्व अनुभाग-1

देहरादून दिनांक 18 अगस्त, 2011


विषय- कलेक्ट्रेट अधिष्ठान के अन्तर्गत सृजित 07 ज्येष्ठ सहायक के अस्थाई पदों को स्थायी किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-2442/मु०रा०आ०/2010 दिनांक 25.06.2011 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल शासनादेश संख्या-199(2)/18(1)/2005 दिनांक 31.03.2005 के माध्यम से सृजित 07 ज्येष्ठ सहायक के अस्थाई पदों को संलग्न विवरणानुसार स्थायी किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त आदेश अधिकारों का प्रतिनिधायन-अस्थाई पदों का स्थायीकरण विषयक वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-118/XXVII(7)/2006 दिनांक 31.08.2006 में प्रतिनिहित अधिकारों के अन्तर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोपरि।



भवदीय,
17-08-11
(कुँवर राजकुमार)
सचिव।

संख्या / (1) / XVIII(1) / 11 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1 महालेखाकार उत्तराखण्ड, माजरा देहरादून।
- 2 आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी एवं कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।
- 3 जिलाधिकारी देहरादून, पौड़ी गढ़वाल, बागेश्वर, टिहरी एवं चमोली।
- 4 कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी देहरादून, पौड़ी गढ़वाल, बागेश्वर, टिहरी एवं चमोली।
- 5 निदेशक एन०आई०सी० उत्तराखण्ड, सचिवालय परिसर देहरादून।
- 6 वित्त अनुभाग-5/7
- 7 गार्ड फाइल।

आज्ञा से,


(संतोष बड़ोनी)
अनु सचिव।

संलग्नक

शासनादेश संख्या १९६ / XVIII(1)/2011-03(1)/2009,दिनांक ...।१... अगस्त, 2011 द्वारा राजस्व विभाग के अन्तर्गत विभिन्न जनपदों हेतु सृजित स्थायी किये गये पदों का विवरण :-

क्र० सं०	पदनाम	स्थायी किये जाने वाले पदों की संख्या	स्वीकृत वेतनमान	शासनादेश संख्या तथा दिनांक जिसमें पद मूल रूप से सृजित हुआ था।	शासनादेश संख्या तथा दिनांक जिसमें पद के स्थायीकरण अथवा उसके बाद की तिथि तक उसका सातत्य स्वीकृत किया गया था।	अभ्युक्ति यदि कोई हो
1	2	3	4	5	6	7
1	ज्येष्ठ सहायक	07	9300-34800 (ग्रेड-घे) 4200	शासनादेश संख्या-199(2)/18(1)2005 दिनांक 31.03.05	882 / XVIII(1) / 10-03(1) / 2009 दिनांक 20 सितम्बर 2010 के द्वारा दिनांक 28.02.2011 तक के लिए निरन्तरता की स्वीकृति प्रदान की गयी है।	कलेक्ट्रेट अधिष्ठान के अन्तर्गत जनपद देहरादून में 02, पौड़ी गढ़वाल में 01, बागेश्वर में 01, टिहरी में 01 तथा चमोली में 02 कुल 07 पद।

(कुँवर राजकुमार)
सचिव
राजस्व विभाग

17-08-11